न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा
पीठासन अधिकारी श्री विवेक व्यास आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर :– 352/22

प्रार्थीगण :–

1. जीवाराम पुत्र रूपाराम
2. तुलसाराम पुत्र रूपाराम
3. धुडाराम पुत्र रूपाराम
4. रतनाराम पुत्र रूपाराम, सभी जातियान जाट निवासी साजियाली पदमसिंह, तहसील पचपदरा, जिला बाडमेर ।

बनाम

विप्रार्थी :–

1. सोनाराम पुत्र निंबाराम
2. खुमाराम पुत्र कानाराम
3. नरेश पुत्र कानाराम
4. पीराराम पुत्र चेनाराम
5. बगताराम पुत्र चेनाराम
6. मूलाराम पुत्र चेनाराम
7. मेहश पुत्र कानाराम
8. सरादेवी पत्नी कानाराम सभी जातियान जाट, सभी निवासी –कालेवा तहसील, पचपदरा, जिला बाडमेर ।
9. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसील पचपदरा जिला बाडमेर।

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

प्रार्थना पत्र वास्ते धारा 251ए आर.टी ए. (1) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

उपस्थित :– 1 श्री रूघाराम कडवासरा वकील प्रार्थी
2 श्री पूनमाराम चौधरी विप्रार्थी संख्या 2 ता 8

आदेश__ दिनांक :–10.7.2023

संक्षेप मे आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है , कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 523/270 रकबा 8.4255 हैक्टेयर ग्राम साजियाली पदमसिंह, तहसील पचपदरा मे अवस्थित है । उक्त खेत व सड[illegible] संख्या – 01 भूमि खसरा संख्या 527/270 रकबा 12.1163 हैक्टेयर व विप्रार्थी संख्या 2 से 8 की खसरा संख्या 264 रकबा 15.7342 हैक्टेयर भूमि आई हुए है ।

प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि से होकर मुख्य सडक तक पहुचने के लिए विप्रार्थी की उक्त खसरे मे से चल रहे कदीमी प्रचलित रास्ते से होकर गुजरता पडता है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.02 20:59:59 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

लेकिन रेकर्ड मे कटाण नहीं होने के कारण प्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो रही है, जिससे प्रार्थी को सडक तक आने जाने मे समस्या आती है। इस कारण प्रार्थी को भारी असुविधा का सामना करना पडता है, और उक्त प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थी के लिए सुविधा जनक है, क्योकि उक्त अनकटा रास्ता इस हेतु इकलौता विकल्प है तथा रास्ते की प्रार्थी को आत्यन्तिक आवश्यकता है । अतः प्रार्थीगण ने ग्राम साजियाली पदमसिंह के खसरा संख्या तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 523/270 रकबा 8.4255 हैक्टेयर भूमि में से होकर गुजरते हुए रास्ते के रूप मे प्रयुक्त हो रही भूमि नक्शा परिशिष्ट ''अ'' मे दर्शाये मार्क ए से बीत क बरंग लाल के रास्ता चौडा 20 फीट का राजस्व रिकॉर्ड मे सरकारी खाते मे गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करवाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है।

प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया । विप्रार्थी संख्या 01 बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस सूचना व सुनवाई पुर्याप्तम अवसर अनुपस्थित रहने से उक्त के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गई । विप्रार्थी संख्या 2 ता 8 जरिये वकालतन उपस्थित होकर जबाब मय विशेष आपतियां प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी द्वारा विप्रार्थी संख्या 01 सोनाराम के खसरा संख्या 525/270 से मिलावट दुरभिसंधि कर प्रार्थीगण के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होते हुए भी गलत परिशिष्ट ''अ'' दर्शाकर बेबुनियाद झूठे, आधारहीन तथ्यों का प्रार्थना पत्र पेश किया है , जो काबिल निरस्त योग्य है । विशेष आपतियां मे कथन किया गया कि मौका रिपोर्ट एक पक्षीय है विप्रार्थीगण के पीछे से तैयार की गई है । विप्रार्थीगण को कोई सूचना नहीं दी गई । प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र रा0का0 अधि0 के धारा 251 ए तहत प्रार्थना पत्र निर्धारित आवेदन पत्र प्रारूप (नियम 68) मे दिये जाना का प्रावधान है जबकि उक्त प्रार्थना पत्र निर्धारित

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.02 20:59:59 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

[illegible] के अनुसार प्रार्थीगण व विपक्षीगण की मेल मिलाप नहीं होने से प्रार्थना पत्र [illegible] से भी सहमत योग्य नहीं है।

उपरोक्त की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने बहस के दौरान बहस में तर्क दिये कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 126/[illegible] रकबा 3.4256 हैक्टेयर ग्राम [illegible] स्थित राजकीय [illegible] में [illegible] है। उक्त खेत पर सड़क के मध्य विपक्षी संख्या 1 भूमि खसरा संख्या 126/[illegible] रकबा 12.1183 हैक्टेयर व विपक्षी संख्या 2 से 3 की खसरा संख्या 284 रकबा [illegible] 7342 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि में ट्रेक्टर वगैरह लेकर जाने हेतु विपक्षीगण के खेत में होकर गुजरना पड़ता है। [illegible] रास्ता नहीं होने के कारण विपक्षी द्वारा रोक टोक की जाती रही है। इस कारण प्रार्थी को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है और उक्त प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थीगण के लिए सुविधा जनक है क्योंकि उक्त प्रस्तावित रास्ता ही [illegible] विकल्प है तथा रास्ते की प्रार्थीगण को आत्यन्तिक आवश्यकता है। अपनी बहस को [illegible] और जारी रखते हुए कथन किया कि विवादित भूमि की तहसीलदार [illegible] द्वारा मौका जांच की गई और अपनी रिपोर्ट में प्रार्थीगण का प्रस्तावित रास्ता दिए जाने की अनुशंषा की गई है। तहसीलदार [illegible] की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण के पक्ष में रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त रास्ता राजकीय खाते में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किया जावे। प्रार्थी रास्ते के बदले में [illegible] भूमि के बदले विपक्षीगण पक्ष को न्यायालय द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि [illegible] देने को तैयार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.02 20:59:59 IST
Reason: SelfAttested

विपक्षी संख्या 2 व 3 के वकील ने अपनी बहस में जवाब व लिखित आपत्तियों का कथन का दोहरान करते हुए तर्क दिया कि विपक्षी संख्या 1 के खसरा संख्या 325/270 के [illegible] में विवादित [illegible] का प्रार्थीगण के साथ [illegible] रास्ता

[illegible]
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) [illegible]

पलब्ध होते हुए भी परिशिष्ट 'अ' दर्शाकर बेबुनियाद झूठे आधारहीन तथ्यों का प्रार्थना पत्र पेश किया है । जो काबिल निरस्त योग्य है । विशेष आपतिया मे कथन किया गया कि मौका रिपोर्ट एक पक्षीय है. विप्रार्थीगण के पीठ के पिछे तैयार की गई है व कोई सूचना नहीं दी गई । रा0का0 अधि0 के धारा 251 ए तहत प्रार्थना पत्र निर्धारित आवेदन पत्र प्रारूप (नियम 68) मे दिये जाना का प्रावधान है जबकि उक्त प्रार्थना पत्र निर्धारित प्रारूप के अनुसार प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण की जोत अंकित नहीं होने से प्रार्थना पत्र अपूर्ण होने से भी चलने योग्य नहीं है ।

हमने उभयपक्ष की बहस सुनी और बहस पर मनन किया और पत्रावली के संलग्न राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात व मौका जांच रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यो पर विवेचन किया। जिसमे पाया कि प्रार्थीगण की ओर से अपनी खातेदारी खेत खसरा संख्या 523/270 रकबा 8.4255 हैक्टेयर ग्राम साजियाली पदमसिंह, तहसील पचपदरा से होकर कटान रास्ता तक पंहुचने के लिए विप्रार्थी संख्या – 01 के भूमि खसरा संख्या 527/270 रकबा 12.1163 हैक्टेयर व विप्रार्थी संख्या 2 से 8 की खसरा संख्या 264 रकबा 15.7342 हैक्टेयर से होकर चल रहे रास्ता को स्वीकृत करनें निवेदन किया गया । जिसने तहसीलदार पचपदरा से मौका स्थिति की रिपोर्ट न्यायालय के आदेश के द्वारा तलब की गई । तहसीलदार पचपदरा द्वारा न्यायालय के आदेश की पालना मे पत्र क्रमांक /राजस्व/2023/493 दिनांक 30.5.2023 द्वारा मौका जांच कर रिपोर्ट दिनांक 14.6.2023 के द्वारा पेश की पेश की गई। जिसमे स्पष्ट अंकन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी खसरा संख्या 523/270 रकबा 8.4255 हैक्टेयर से होकर मुख्य सड़क तक पहुंचने के लिए आवागमन हेतु उपयुक्त भूमि खसरा संख्या 525/270 रकबा 12.1163 हैक्टयर व 264 रकबा 15.7342 हैक्टयर किस्म बा.सो. मे आवागमन हेतु रास्ता चाहा गया मौके मुआयना से खसरा संख्या 525/270 मे से विप्रार्थीगण सोनाराम द्वारा प्रार्थीगण के खेत के खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.02 20:59:59 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

संख्या 523 270 को जोडते हुये रास्ते हेतु 1 बीघा भूमि समर्पण कराई गयी। जिसका राजस्व रेकर्ड मे अमलदरामद किया हुआ है। खसरा संख्या 264 गेवल (कटान) रास्ते से जुडा हुआ है। प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी कृषि भूमि मे आवागन हेतु सुगम सरल निकटतम रास्ता खसरा संख्या 264 मे रास्ते की लम्बाई 686 फीट व चौडाई 20 फीट क्षेत्रफल 13720 वर्ग फीठ अर्थात 0.1275 हेक्टयर रास्ते हेतु भूमि प्रस्तावित की गई है जो उपयुक्त एवं निकटतम रास्ता है, जो प्रस्तावित रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तहसीलदार पचपदरा द्वारा भी प्रस्तावित रास्ता स्वीकृत करने की अनुशंषा की गई है। विप्रार्थी संख्या 01 बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस सूचना के उपस्थित नहीं हुए है परन्तु वक्त मौका उपस्थित रहे है व रास्ता हेतु 01 बीघा भूमि समर्पण की गयी है से प्रतीत होता है कि विप्रार्थी संख्या 01 की और से प्रार्थीगण के आवेदन स्वीकार किये जाने की मौन स्वीकृति है। विप्रार्थी संख्या 2 ता 8 की और से जबाब व विशेष आपत्तियां के सम्बन्ध मे किसी भी प्रकार के दस्तावेज पेश नहीं किये गये। जबाब मे अंकित तथ्य कि विप्रार्थीगण को मौका जांच हेतु उपस्थित होने की सूचना नहीं दी गयी जबकि मौका रिपोर्ट मे स्पष्ट अंकित है की विप्रार्थीगण को जरिये दूरभाष दिनांक 8.5.2023 को सूचित किया गया। बावजूद सूचना विप्रार्थीगण उपस्थित नहीं हुए। ऐसी सूरत मे विप्रार्थीगण का जबाब व विशेष आपत्तियां निरर्थक व सारहीन प्रतीत होती है।

उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है, कि प्रार्थीगण को रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है और उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता भी उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार प्रार्थी रास्ता पाने का हकदार है। प्रार्थी रास्ते [illegible] राशि अदा किये जाने हेतु सहमत है। उपरोक्त विवेचन उपरांत प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.02 20:59:59 IST
Reason: SelfAttested

(हस्ताक्षर)
उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.02 20:59:59 IST
Reason: SelfAttested